बिहार सरकार

<u>कृषि विभाग</u>

पत्र संख्या–3 / कृ0 बजट–आवंटन–15 / 2015–101 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 18-9-2015

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कृषि महाविद्यालय के लिए कुल 84 पदों (एसोसिएट डीन–सह–प्रिंसिपल–01, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर–05, एसोसिएट प्रोफेसर–11, असिस्टेंट प्रोफेसर–25, नन टिचिंग स्टाफ–42) के सृजन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में 359.18 लाख (तीन करोड़ उनसठ लाख अठारह हजार) रूपये व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2015–16 में तत्काल 57.4688 लाख रूपये (सन्तावन लाख छियालीस हजार आठ सौ अस्सी रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹57,46,880 (सन्तावन लाख छियालीस हजार आठ सौ अस्सी रूपये) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–4546 दिनांक–07.09.2015 द्वारा डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कृषि महाविद्यालय के लिए कुल 84 पदों (एसोसिएट डीन–सह–प्रिंसिपल–01, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर–05, एसोसिएट प्रोफेसर–11, असिस्टेंट प्रोफेसर–25, नन टिचिंग स्टाफ–42) के सृजन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में 359.18 लाख (तीन करोड़ उनसठ लाख अठारह हजार) रूपये व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2015–16 में तत्काल 57.4688 लाख रूपये (सन्तावन लाख छियालीस हजार आठ सौ अस्सी रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु ₹57,46,880 (सन्तावन लाख छियालीस हजार आठ सौ अस्सी रूपये) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹57,46,880 (सन्तावन लाख छियालीस हजार आठ सौ अस्सी रूपये) की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०–1–उप शीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर, विपत्र कोड–P2415017890103, राज्य योजंना स्कीम कोड–AGR-5042 अंतर्गत वर्ष 2015–16 में विषयशीर्ष–3104 –सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि ₹3,31,15,000 (तीन करोड़ एकतीस लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांकः–5294 दिनांक–17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(प्रभु राम) 18/9/15
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

D:\year -2014\21.04.2014 R.doc

ज्ञापांक 101 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 18-09-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक 101 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 18-09-2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक / निदेशक उद्यान / निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग) / निदेशक, भूमि संरक्षण / मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ / जिला पदाधिकारी, किशनगंज / कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग / कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

D:\year -2014\21.04.2014 R.doc

20